मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / एफ 1-45/09/20-1 भोपाल, दिनांक 18/9/09

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
2. समस्त आयुक्त, नगर निगम,
3. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत / जनपद पंचायत,
4. समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत,
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्यप्रदेश.

विषयः— **संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन में काउसिलिंग के समय जमा किये गये मूल प्रमाण पत्रों के संबंध में।**

संदर्भ :— **विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 1—37/2008/20—1 भोपाल, दिनांक 09.07.2008**

—0—

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1—37/2008/20—1 भोपाल, दिनांक 09.07.08 के द्वारा संविदा शाला शिक्षकों के नियोजन में निर्देश है कि "प्रवीणता के अवरोही क्रम में नियोजन की कार्यवाही परामर्श (Counseling) के द्वारा की जावेगी। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के समन्वय में जिले की सभी निकायों की एकीकृत काउसिलिंग की जावेगी। काउसलिंग के समय उपस्थित अभ्यर्थी से पात्रता परीक्षा 2008 के प्रमाण—पत्र सह अंकसूची शैक्षणिक योग्यता तथा शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता की अंकसूची की मूल प्रति जमा करायी जावेगी जिसे नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा पूर्ण परीक्षण / सत्यापन के उपरांत 60 दिवस के भीतर आवेदक को वापस की जाएगी। परामर्श (Counseling) उपरांत नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को मौका स्थल पर ही संविदा शाला शिक्षक के नियुक्ति आदेश प्रदान किए जाएंगे।"

आईडियाज फॉर सीएम के माध्यम से प्राप्त सुझाव के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है कि काउसिलिंग के समय प्रस्तुत किये गये मूल प्रमाण पत्रों की सत्यता की जांच के उपरांत अभ्यार्थियों को मूल प्रमाण पत्र उसी समय वापस कर दिये जाए। इन निर्देशों का पालन करने का कष्ट करें।

17/9/09
(एस.एन. शर्मा)
उप सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

Ekiran 2008/All Letter/

पृष्ठां क्रमांक/एफ 1-45/09/20-1
प्रतिलिपिः–

भोपाल, दिनांक 18/9/09

1. सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. निज सहायक, मा. मंत्रीजी जी म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण/आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल।
5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।

17/9/09

उप सचिव
म.प्र शासन
स्कूल शिक्षा विभाग